रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 53] नई दिल्ली, दिसम्बर 25—दिसम्बर 31, 2016, शनिवार/ पौष 4—पौष 10, 1938

No. 53] NEW DELHI, DECEMBER 25—DECEMBER 31, 2016, SATURDAY/ PAUSA 4—PAUSA 10, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2450.— भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पाद की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है :

अनुसूची

भारतीय मानक संख्या	भाग	अनु. भाग	वर्ष	उत्पाद	इकाई	न्यूनतम मुहरांकन शुल्क (रु.)		इकाई दर स्लैब 1 (रु.)	स्लैब में इकाईयां	इकाई दर स्लैब 2 (रु.)	स्लैब 2 में इकाईयां	इकाई दर स्लैब 3 (रु.)	स्लैब 3 में इकाईयां	प्रचालन तिथि
						वृहद स्तर	MSME							
252	-	-	2013	कास्टिक सोडा	एक टन	58000	47000	15.9	सभी	-	-	-	-	20 12 2016

After several dates process of settlement concluded and settlement concluded and settlement between parties took place outside court and management Bank on 18.11.2016 handed over cheque of Rs. 3,00,500/- to workman Sh. Chander Singh Rathee as full and final payment in this case. Who received aforesaid cheque and made an endorsement to this effect on the photo copy of cheque filed by management. Which is introduced on record.

Thus, it emerged that the management Bank agreed to pay a sum of Rs. 3,00,500/- to the claimant towards full and final settlement of his claim for fixation of pay after adjusting the two additional increments which are otherwise given exclusively against graduation.

On payment of a sum of Rs. 3,00,500/- through cheque to claimant by management of SBI claim is accordingly decided.

Award is accordingly passed.

Dated : 18.11.2016

HARBANSH KUMAR SAXENA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2478.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 जनवरी, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्र.सं.	राज्य	जिलों के नाम	निम्नांकित के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र
1.	असम	माजुली	माजुली शहर
2.	असम	गोवालपारा	गोवालपारा टाउन

[सं. एस-38013/45/2016-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 26th December, 2016

S.O. 2478.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st January, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of Assam namely :—

Sl. No.	State	Districts	All the Areas falling under
1.	Assam	Majuli	Majuli Town
2.	Assam	Goalpara	Goalpara

[No. S-38013/45/2016-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2016

का.आ. 2479.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 जनवरी, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्र.सं.	राज्य	जिलों के नाम
1.	असम	जोरहाट
2.	असम	डिब्रूगढ़

[सं. एस-38013/46/2016-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव